Science, Manual... BA-1, Paper-2, Unit-3(a) ~~1996~~

March 11 सोमवार Monday

लिखित और अलिखित संविधानों में मौलिक अंतर

लिखित संविधान

(1) लिखित संविधान में प्रशासन संबंधी मौलिक बातें एक प्रलेख में लिपिबद्ध रहती हैं।

अलिखित संविधान में शासन संबन्धी बातें लिखी हुई नहीं रहतीं। यह संविधान

12 मंगलवार Tuesday

रीति-रिवाजों, जनश्रुतियों और परंपराओं पर आधारित रहता है।

(2) लिखित संविधान दुष्परिवर्तनशील होता है। इसमें संशोधन के लिये विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है।

~~(3) लिखित संविधान का निर्माण~~ ~~किसी~~

अलिखित संविधान

परिवर्तनशील होता है

बुधवार Wednesday 13

अर्थात इसमें एक साधारण कानून की तरह संशोधन किया जा सकता है।

(3) लिखित संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय के अन्दर किसी निश्चित निकाय द्वारा किया जाता है। अलिखित संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय

गुरुवार Thursday 14

में किसी निश्चित निकाय द्वारा नहीं होता। यह विकास का परिणाम होता है।

(4) लिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था के लिये एक आवश्यक तत्व है। अलिखित संविधान एकात्मक शासन व्यवस्था

के लिये आवश्यक है।

(5) लिखित संविधान में नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रहते हैं। अलिखित संविधान में नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा की निश्चित गारंटी नहीं रहती।

16 शनिवार Saturday

17 रविवार Sunday